


न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मुनीर खां वगैरह बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी वगैरह अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1955 राजस्व विविध प्रार्थना संख्या : 22/2021</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>19-8-21</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के निर्णय उपरान्त पत्रावली मय निर्णय की प्रति प्राप्त हुई। विचाराधीन वाद में पत्रावली श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के निर्णय दिनांक 09.05.2025 के अनुसार अन्य दावा मूल वाद संख्या 96/2015 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.11.2024 के मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 496 का विभाजन हो चुका है। अपीलाधीन निर्णय तथा डिक्री दिनांक 02.08.2021 एवं वादीगण का वाद खारिज किया गया। अतः ऐसी स्थिति में उक्त निर्णय की पालना में वादीगण का वाद सारहीन होने से खारिज किया जा गा है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">  (पुखराज कांसोटिया) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी </p>	